न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/83/2022

जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतीराम, जसबंत नगर छोंकरा वाली कॉलोनी स्टेडियल के सामने हीरादास जिला भरतपुर

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलैक्टर(मुद्रांक) भरतपुर

.............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 22.11.2022**

अपीलार्थी जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतीराम, जसबंत नगर छोंकरा वाली कॉलोनी स्टेडियल के सामने हीरादास जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलैक्टर(मुद्रांक) भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/22/798 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलैक्टर(मुद्रांक) भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलैक्टर(मुद्रांक) भरतपुर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है लोक सूचना अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलैक्टर(मुद्रांक) भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की

............2

(2) अपील / आरटीआई / 83 / 2022
जीतेन्द्र कुमार बनाम डीआईजी पंजीयन

निर्णय प्रति लोक सूचना अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलैक्टर(मुद्रांक) भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर